न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000242010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-78/2010</u> <u>संस्थापित दिनांक18.03.2010</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
......अभियोजन
विरुद्ध
01—अमजदअली खॉन पुत्र मेहबूबअली आयु 46 वर्ष
निवासी छोला मंदिर के पास भोपाल हाल निवास श्रेयांस
का मकान चंदेरी
......आरोपी......
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी...... द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 379 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी नरेन्द्र पाठक ने दिनांक 04.02.2010 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.02.2010 को 18:30 बजे राजा का महल चंदेरी से कबाडी की दुकान पर आरोपी अमजद अली को लोहे का किवाड एव हैडपंप पैडिस्टल बेचने के लिए ले जाते हुए पकडा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 41/10 के अंतर्गत भादिव की धारा 379 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 379 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा बचाव साक्ष्य भी प्रस्तुत की।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनाक 04.02.10 को फरियादी की सहमित के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से एक लोहे का प्लर वजनी 150 किलो एवं एक हैडपंप का पैडिस्टल कीमत 2200/—रूपये हटाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अशोक यादव, अ०सा02 नरेन्द्र, अ०सा03 विवेक खान, अ०सा04 उमेश, अ०सा05 दिनेश, अ०सा06 जंगबहादुर, अ०सा07 रामदास की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपी की ओर से बचाव साक्षी जलील की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। 07— अभियोजन साक्षी 01 अशोक यादव ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार वह 2010 में उपयंत्री के पद पर नगरपालिका में पदस्थ था तथा उसे सी एम ओ पाठक साहब ने फोन करके बताया था कि कुछ सामग्री चोरी हो गई है। उक्त साक्षी के अनुसार वह घटना स्थल पर नहीं गया था। उक्त साक्षी ने जप्ती पत्रक प्र0पी01 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि क्या सामग्री चोरी हई थी। उक्त साक्षी ने इस बांत से इंकार किया है कि आरोपी से चोरी गई सामग्री प्र0पी01 के अनुसार जप्त हुई थी। अ0सा03 विवेक एवं अ0सा04 उमेश तथा अ0सा05 दिनेश ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ0सा03 ने इस बात से इंकार किया है कि उसने आरोपी को लोहे का प्लर बेचने के लिए ले जाते देखा था और न ही आरोपी को पकड़ा था। इसी प्रकार अ0सा04 ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी को लोहे का प्लर व पैडिस्टल ले जाते देखा था या पकड़ा था। अ0सा05 ने भी इस बात से इंकार किया है कि उसने आरोपी को लोहे का प्लर एवं पैडिस्टल ले जाते देखा था।

08— अ0सा02 नरेन्द्र ने अपने कथन मे बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार उसे हैडपंप का सामान तथा अन्य सामान की जानकारी मिली थी कि वह नगरपालिका का है। उक्त साक्षी के अनुसार प्र0पी03 के माध्यम से उसने थाना प्रभारी को कार्यवाही के लिए लिखा था तथा नक्सा मौका प्र0पी05 के ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने जप्ती पत्रक प्र0पी01 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार वह निश्चित जगह नहीं बता सकता कि सामान कहां से चोरी गया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण मे कथन किया है कि उनके स्टोर से कोई सामान चोरी नहीं गया था। उक्त साक्षी अनुसार उसे याद नहीं है कि घटना के समय स्टोर कीपर कोन था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी से उसके सामने कोई बस्तु जप्त नहीं हुंई तथा उसके सामने आरोपी को गिरप्तार नहीं किया गया है। उक्त साक्षी अनुसार उसने चोरी गये सामान को न तो हाथ ठेले में ले जाते हुए देखा

और न ही बेचते हुए देखा।

09— अ०सा०६ जंगबहादुर ने अपने कथन मे बताया है कि उसने प्रकरण मे नक्सा मौका प्र0पी०५ तैयार किया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे। अ०सा०७ रामदास ने अपने कथन मे बताया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी०४ लेखवद्ध की थी तथा आरोपी से प्र0पी०१ के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी को नगरपालिका वाले अपने साथ पकड कर थाने लाए थे। उक्त साक्षी अनुसार उसने जप्तशुदा माल तुलवाया नहीं था जो लेखी पत्र मिला था उसके आधार पर उसने प्लर का वजन लिख दिया था।

10— आरोपी की ओर से बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें बचाव साक्षी जलील ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी इंटैक्स कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था। उक्त साक्षी अनुसार इंटैक्स कंपनी को राजारानी महल दुरूस्ती के लिए सौपा गया था। उक्त साक्षी अनुसार वह स्टोर कीपर के पद पर पदस्थ था। यद्यपि उस साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरेपी द्वारा अपने कब्जे में नगरपालिका का कोई सामान रखने एवं वेचने के सबंध में नहीं बता सकता। उक्त साक्षी के अनुसार इंटैक्स कंपनी को खाली भवन दिया गया था तथा वह आरोपी के पास कभी कभार बैठने के लिए चला जाता था।

11— आरोपी की ओर से जो बचाव साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे यह दर्शित होता है कि आरोपी इंटैक्स कंपनी के सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था किंतु मात्र सुपरवाइजर होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि आरोपी ने चोरी कारित नहीं की। इसके लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसकी विवेचना के उपरांत ही कोई निष्कर्ष दिया जा सकता है। इस सबंध में उल्लेखनीय है कि अ०सा०६ द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र०पी०५ की कार्यवाही की गई है तथा अ०सा०७ द्वारा जप्ती पंचनामा प्र०पी०१ एवं गिरप्तारी पंचनामा प्र०पी०२ की कार्यवाही की गई है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह देखना है कि क्या प्रकरण में जप्ती प्र०पी०१ को कार्यवाही प्रमाणित हो रही है या नहीं। जप्ती पंचनामा प्र०पी०१ के साक्षी अ०सा०२ एवं अ०सा०१ ने अभियोजन की कार्यवाही का

सर्मथन नहीं किया है। अ०सा०1 पक्षद्रोही हो गया है तथा उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी से उसके समक्ष चोरी की किसी संपत्ति की जप्ती की गई है। अ०सा०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि आरोपी से उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार प्रकरण मे जप्ती पंचनामा प्र०पी०1 की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हो रही है।

- 12— प्रकरण में नक्सा मोका प्र0पी05 की कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं हो रही है। प्र0पी05 के साक्षी अ0सा03 एवं अ0सा04 पक्षद्रोही हो गये है। उक्त साक्षीगण द्वारा नक्सा मौका की कार्यवाही का सर्मथन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में न तो जप्ती पंचनामा प्र0पी01 और न ही नक्सा मौका प्र0पी05 की कार्यवाही प्रमाणित हो रही है। उक्त साक्षी है कि अ0सा02 जो कि मामले का फरियादी है की साक्ष्य भी स्पष्ट नहीं है। उक्त साक्षी ने स्पष्टरूप से अपने कथन में बताया है कि उसने आरोपी को न तो चोरी का सामान ले जाते हुए देखा और न ही चोरी करते हुए देखा। उक्त साक्षी ने आरोपी को पहचानने से भी इंकार किया है। इस प्रकार प्रकरण में न तो घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने आरोपी को चोरी का सामान वेचते हुए य चोरी करते ले जाते हुए देखा हो। और न ही प्रकरण में आरोपी से जप्ती की कोई कार्यवाही प्रमाणित हो रही है। इस प्रकार अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा नगरपालिका की संपत्ति की चोरी कारित की गई है।
- 13— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी अमजदअली को भादवि की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 14— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 15— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लोहे का प्लर एवं हैडपंप का पैडिस्टल अपील

अवधि पश्चात नगरपालिका को वापिस हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन हो।

16— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)